85 भाग II
5-6-13

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

वैशाख 11, बुधवार, शाके 1935–मई 1, 2013
Vaisakha 11, Wednesday, Saka 1935–Mayt 1, 2013

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 26, 2013

S.O. 35:- मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 1 की उप–धारा (3) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसरण में राजस्थान राज्य के लिये मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) को अंगीकृत करते हुये 22 मार्च, 2013 को राजस्थान राज्य विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया था:–

यतः संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में गोवा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के विधानमण्डलों के सभी सदनों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित किये गये हैं कि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) को संसद द्वारा संशोधित किया जाये।

और यतः, पूर्वोक्त संकल्पों के अनुसरण में संसद ने मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) पारित किया है;

और यतः, उक्त संशोधन अधिनियम का प्रसार उन्हीं अन्य राज्यों पर होगा जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अंगीकार करे ;

और यतः, इस सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) को राजस्थान राज्य में अंगीकार किया जाना चाहिए ;